श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरणः–

- विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कराना।
- प्रदेश में औद्योगिक शांति बनाए रखने में सहायता करना।
- निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/लाईसेंसिंग करनाः–

1– उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, 1962

2– संविदा श्रम अधिनियम, 1970

3– अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979

4– मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

5– कारखाना अधिनियम, 1948

6– ब्वायलर अधिनियम, 1923

7– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाषर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

- निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत दावों का निस्तारण कर भुगतान करानाः–

1– न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

2– वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

3– समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

4– आनुतोषिक भुगतान अधिनियम, 1972

- उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्राप्त सी0पी0/सी0बी0 एवं अन्य औद्योगिक विवादों का निस्तारण करना एवं समझौता न होने पर विवाद को श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करना।

- श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण के एवार्डों का प्रकाषन एवं प्रतिपालन कराना।

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त उपालम्भों का निस्तारण करना।

- बाल श्रमिकों का चिन्हींकरण करना, उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करना तथा चिन्हिंत बाल श्रमिकों को विद्यालयों में प्रवेश कराना आदि।

- बंधुवा श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत जिला प्रशासन से समन्वय कर सतर्कता समितियों के माध्यम से बंधुवा श्रमिकों का चिन्हींकरण करना एवं पुनर्वास कराने में सहयोग कराना।

- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत श्रमिकों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित आलेखों को प्रमाणित करना।

- ट्रेड यूनियन्स अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण करना तथा उनके वार्षिक चुनावों की जॉच कर कार्यकारणी को दर्ज करना।

- विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण करना।

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 एवं राज्य नियमावली 2005 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उनके हितार्थ बनी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करना, कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित करना तथा बोर्ड के निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिष्चित करना, बोर्ड की निधि का रखरखाव करना।